हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

मन्त्रिमण्डल सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 8 जून, 2016

संख्या 6/1/2016–1कैबिनेट.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, कप्तान सिंह सोलंकी, राज्यपाल हरियाणा, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) नियम, 1974, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता हूं , अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) संशोधन नियम, 2016, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) नियम, 1974 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, अनुसूची में, "स्वास्थ्य विभाग (सचिव,हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से)" शीर्ष के नीचे–

   (i) क्रम संख्या 19 के सामने प्रविष्टि में, "तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;

   (ii) क्रम संख्या 22 के सामने प्रविष्टि में, "तथा दन्तक शिक्षा" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;

   (iii) क्रम संख्या 25 के सामने प्रविष्टि में, "तथा चिकित्सा शिक्षा" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;

   (iv) क्रम संख्या 26 के सामने प्रविष्टि में, "तथा नर्सिंग शिक्षा" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;

   (v) क्रम संख्या 28 के सामने प्रविष्टि में, "तथा औषधीय शिक्षा" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा ।

3. उक्त नियमों में, अनुसूची में, "विधि तथा विधायी विभाग (विधि परामर्शी एवं सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग के माध्यम से)" शीर्ष के बाद, निम्नलिखित शीर्ष तथा उसके नीचे निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :–

"चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान विभाग"

(अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान विभाग के माध्यम से)

1. राज्य में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विश्वविद्यालयों सहित चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थाओं से संबधित मामले।
2. राज्य में गुणवत्तापरक चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान हेतु नीतियों, कार्यक्रमों तथा स्कीमों को बनाना तथा लागू करना।
3. राज्य में चिकित्सा शिक्षा देने वाली तथा चिकित्सा अनुसंधान उत्तरदायित्व वाली सरकारी संस्थाओं का अधीक्षण, निर्देशन, नियन्त्रण तथा प्रशासन करना।
4. राज्य में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में मानव–संसाधन जरूरतों का मानचित्रण करना तथा योजना बनाना।
5. राज्य में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में छात्रों, विद्वानों, शिक्षकों, अनुसंधानकर्ताओं इत्यादि के लिए छात्रवृत्तियों, शिक्षावृत्तियों, पुरस्कारों, वजीफे, सम्मानों, सम्मान पदकों की नामावली (रोल आफॅ आनर) इत्यादि के सम्बन्ध में नीतियाँ बनाना तथा लागू कराना।
6. राज्य में निजी संस्थाओं सहित स्वास्थ्य विज्ञान शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिलों, फीस नियत तथा शैक्षणिक–मानकों के अनुरक्षण के लिए तथा इससे सम्बन्धित अथवा उसके आनुषंगिक मामलों के लिए विनियमन।
7. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, किसी विश्वविद्यालय द्वारा अथवा किसी वैधानिक अथवा अन्य निकाय, जिसे प्रमाण–पत्र, उपाधि पत्र अथवा उपाधि, जैसी भी स्थिति हो, की सम्बद्धता, मान्यताप्राप्त अथवा प्रत्यायन की शक्तियां हैं, द्वारा आधुनिक चिकित्सा–पद्धति, भारतीय चिकित्सा–पद्धति, नर्सिंग या इसकी किन्हीं शाखाओं में उपाधि, उपाधि पत्र अथवा प्रमाण–पत्र के विनियमन की शक्तियों से निहित विभिन्न विनियामक प्राधिकरणों के नियमों, विनियमों, उपविधियों तथा अन्य वैधानिक अपेक्षाओं की अनुपालना से सम्बन्धित मामले।
8. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/अर्ध–सरकारी/स्वायत्त संगठनों/निजी क्षेत्र के अधीन चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के सम्बन्ध में आशय का पत्र, अनापत्ति प्रमाण–पत्र अथवा आवश्यकता प्रमाण–पत्र, जैसी भी स्थिति हो, जारी करने/नवीकरण करने/रद्दकरण सहित चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाएं खोलने, चलाने, बन्द करने तथा सम्बद्धता के सम्बन्ध में नितियां विनियमित करना/बनाना।
9. विश्वविद्यालयों सहित चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थाओं को सहायता अनुदान देना।
10. शिक्षा–प्राप्ति प्रबन्धन प्रणाली (लर्निंग मैनेजमैन्ट सिस्टम्स) अथवा परोक्ष शिक्षा प्राप्ति वातावरण (वरचूयल लर्निंग इनवायरनमैंट) में ऑनलाईन अध्यापन द्वारा समर्थित चिकित्सा शिक्षा को उन्नत करना।

11. निम्नलिखित के सम्बन्ध में विकास तथा प्रसारण हेतु नीति बनाने तथा लागू करने से सम्बन्धित मामले–
    (क) चिकित्सा शिक्षा (आधुनिक चिकित्सा–पद्धति में शिक्षा) अर्थात् ऐसी चिकित्सा पद्धति में शिक्षा जिसमें उपाधी–पत्र या उपाधि या ऊपर स्तर के पूर्व–नैदानिक, परा–नैदानिक, परा–चिकित्सीय तथा परा–दन्तक से सम्बन्धित आधुनिक चिकित्सा पद्धति, अस्पताल प्रशासन, दन्त चिकित्सा की शाखाएं तथा ऐसी अन्य शिक्षण भी शामिल है;
    (ख) भारतीय चिकित्सा–शिक्षा पद्धति, अर्थात् ऐसी चिकित्सा–पद्धती में शिक्षा जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होमियोपैथि, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा तथा ऐसी अन्य चिकित्सा शिक्षा पद्धति भी शामिल हैं;
    (ग) परा–चिकित्सीय शिक्षा अर्थात् नर्सिंग, बहु–उद्देशीय स्वास्थ्य कर्मकार (एम.पी.एच.डब्लयु.), रेडियोग्राफर, नेत्र–सहायक, ऑपरेशन थियेटर सहायक, प्रयोगशाला तकनीशियन, फार्मासिस्ट तथा ऐसे अन्य पाठ्यक्रम में शिक्षा;
    (घ) भेषजी–शिक्षा;
12. निम्नलिखित अधिनियमों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के प्रशासन से सम्बन्धित मामले:–
    (क) पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम 26);
    (ख) हरियाणा निजी स्वास्थ्य विज्ञान शैक्षणिक संस्था (प्रवेश विनियमन, फीस नियतन तथा शैक्षणिक मानक अनुरक्षण) अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम 9);
    (ग) पंजाब चिकित्सक पंजीकरण अधिनियम, 1916 (1916 का पंजाब अधिनियम 2);
    (घ) पंजाब नर्सिज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1932 (1932 का पंजाब अधिनियम 1);
    (ङ) दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 16);
    (च) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 8);
    (छ) पंजाब होम्योपैथी व्यवसायी अधिनियम, 1965 (1965 का पंजाब अधिनियम संख्या 16);
    (ज) पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा–व्यवसायी अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम संख्या 42);
    (झ) पंजाब शरीर रचना विज्ञान अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 14);
    (ञ) पंजाब कॉर्निया रोपण अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 13)।
13. निम्नलिखित के सम्बन्ध में सरकार के स्तर पर सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देशन, प्रशासन तथा नियन्त्रण तथा कार्यवाही के लिए अपेक्षित सभी विषय तथा मामले:–
    (क) हरियाणा चिकित्सा परिषद्;
    (ख) हरियाणा नर्सिंग पंजीकरण परिषद्;
    (ग) हरियाणा राज्य दन्तक परिषद्;
    (घ) हरियाणा राज्य भेषजी परिषद्;
    (ङ) होम्योपैथिक चिकित्सा–पद्धती परिषद्, हरियाणा;
    (च) आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धती बोर्ड, हरियाणा;
    (छ) हरियाणा चिकित्सा शिक्षा संस्था।
14. चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान क्षेत्र में अंतर राज्यिक तथा राज्यान्तर्गत समन्वय ;
15. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् से सम्बन्धित मामले।
16. राज्य में चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा अनुसंधान तथा चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित करने/खोलने से सम्बन्धित मामले।
17. राज्य में बीमार तथा बीमारी से ग्रस्त लोगों को मानवोचित सेवाएं देने के लिए ज्ञान के प्रसार के लिए चिकित्सा की बहुविद्या शिक्षणों में कार्यरत युवा वैज्ञानिकों के लिए भौतिक तथा बौद्धिक वातावरण उपलब्ध करवाने हेतु स्वास्थ्य विज्ञान तथा चिकित्सा संस्थाओं की स्थापना करने/खोलने तथा प्रशिक्षित चिकित्सीय तथा पैरा–चिकित्सीय मानव शक्ति से सम्बन्धित मामले ।
18. टेकलिंग बीमारियों जैसे दस्त, क्षयरोग, मलेरिया, अमिषियोसिस सुव्यवस्थित शून्यता, रिपलेसिंग पौलीचोन डरिटिज, एच.आई.वी, कुष्ठरोग, यकृत–शोथ, रक्तक्षीणता, रक्तश्र्वताणु उच्चरक्तचाप, एथीरोस्कलोरोसिस, थैलेसिमिया, दन्तक अस्थिक्षय, पथरी रोग, कैन्सर तथा यौन संकर्मित रोग इत्यादि पर अनुसंधान के फोक्स सहित पर्यावरण तथा स्वास्थ्य समस्याओं से सम्बन्धित ग्रामीण तथा समुदाय के लिए अनुसंधान करने से सम्बन्धित मामले।

19. आधुनिक तकनीक, जैसे फॅलोसाईटोमैट्री, करोमैटोग्राफी (एच.पी.एल.सी.,एफ.पी.एल.सी.), आणविक आनुवंशिक विज्ञान, पॉसिट्रोन एमिशन टॉमोग्राफी (पी.ई.टी.) जनेटिक अध्ययन इत्यादि का उपयोग करते हुए स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विज्ञान में अनुसंधान तथा अध्ययन संचालित करने हेतु सुविधाएं उपलब्ध करवाने से सम्बन्धित मामले।
20. राष्ट्रीय महत्व की चिकित्सीय संस्थाएं जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय कैन्सर संस्थान इत्यादि स्थापित करने से सम्बन्धित मामलों सहित अन्तर–राष्ट्रीय अभीकरणों (जैसे विश्व स्वास्थ्य संस्था) तथा राष्ट्रीय अभीकरणों द्वारा अनुसंधान केन्द्रों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाने से सम्बन्धित मामले।
21. सामान्य प्रशासन विभाग को आबंटित मामलों को छोड़ कर विभाग के प्रशासकीय नियन्त्रण के अधीन अधिकारियों तथा कर्मचारियों से सम्बन्धित स्थापना मामले।

चण्डीगढ़:
दिनांक 27 मई, 2016.

कप्तान सिंह सोलंकी,
राज्यपाल, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 6 जून, 2016.

डी० एस० ढेसी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

CABINET SECRETARIAT

Notification

The 8th June, 2016

No. 6/1/2016.-1Cabinet.— In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of article 166 of the Constitution of India, I, Kaptan Singh Solanki, Governor of Haryana, hereby make the following rules further to amend the Business of the Haryana Government (Allocation) Rules, 1974, namely:-

1. These rules may be called the Business of the Haryana Government (Allocation) Amendment Rules, 2016.
2. In the Business of the Haryana Government (Allocation) Rules, 1974 (hereinafter called the said rules) in the Schedule, under heading "HEALTH DEPARTMENT (Through the Secretary to Government, Haryana, Health Department)",-
   (i) in the entry against serial number 19, the words "and Indian Council of Medical Research" shall be omitted;
   (ii) in the entry against serial number 22, the words "and dental education" shall be omitted;
   (iii) in the entry against serial number 25, the words "and medical education" shall be omitted;
   (iv) in the entry against serial number 26, the words "and nursing education" shall be omitted;
   (v) in the entry against serial number 28, the words "and Pharmaceutical education" shall be omitted.

3. In the said rules, in the Schedule, after heading "Law and Legislative Department, (Through the Legal Remembrancer and Secretary to Government, Haryana, Law and Legislative Department)" and entries thereunder, the following heading and entries thereunder shall be inserted, namely:-

"MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH DEPARTMENT"

(Through the Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Medical Education and Research Department)

1. Matters regarding medical education and research institutions including health and medical universities in the State.
2. Formulation and implementation of policies, programmes and schemes for quality medical education and research in the State.
3. Superintendence, direction, control and administration of government institutions imparting medical education and undertaking medical research in the State.
4. Mapping and planning of human resource needs in health and medical education sector in the State.

5. Formulation and implementation of policies regarding scholarships, fellowships, awards, stipends, citations, roll of honour *etc.* to the students, scholars, educators, researchers *etc.* in the health and medical education sector in the State.
6. Regulation of admissions, fixation of fee and maintenance of educational standards in health sciences educational institutions including private institutions in the State and for the matters connected therewith or incidental thereto.
7. Matters regarding compliance of rules, regulations, by-laws and other statutory requirements of various regulatory authorities vested with the powers of regulation of a degree, diploma or certificate in modern System of Medicine, Indian System of Medicine, nursing or any of its branches by Central Government, State Government, any University or by any Statutory or other body which has powers of affiliation, recognition or accreditation of certificate, diploma or degree, as the case may be.
8. Regulating/ formulating policies regarding opening, running, closing and affiliation of medical educational institutions including issuing/renewal/cancellation of Letter of Intent, No Objection Certificate or Essentiality Certificate as the case may be regarding establishment of medical education institution under Central Government/State Government/Semi Government/ autonomous organizations/ private sector.
9. Grant-in-aid to medical education and research institutions including universities.
10. Promotion of medical education supported by online teaching, within learning management systems (LMSs) or virtual learning environments (VLEs).
11. Matters relating to formulation and implementation of policy for development and propagation of :-
    (a) Medical Education (Education in Modern System of Medicine) *i.e.* Education in a system of medicine which includes all branches of modern medicine, hospital administration and dentistry dealing with pre-clinical, para-clinical, clinical, para- medical and para-dental disciplines at the diploma or degree level or above and such other disciplines;
    (b) Indian System of Medicine Education *i.e.* Education in a system of medicine which includes Ayurveda, Unani, Siddha, Homeopathy, Yoga and Naturopathy and such other disciplines;
    (c) Para Medical Education *i.e.* Education in nursing, multipurpose health workers (MPHW), radiographer, ophthalmic assistant, operation theatre assistant, lab technician, pharmacist and such other courses;
    (d) Pharmacy Education.
12. Matters relating to the administration of the following Acts and rules made thereunder:-
    (a) Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak Act, 2008 (Act 26 of 2008);
    (b) Haryana Private Health Sciences Educational Institutions (Regulations of Admission, Fixation of fee and Maintenance of Educational Standards) Act, 2012 (Act 9 of 2012);
    (c) The Punjab Medical Registration Act, 1916 (Punjab Act 2 of 1916);
    (d) The Punjab Nurses Registration Act, 1932 (Punjab Act 1 of 1932);
    (e) The Dentists Act, 1948 (Central Act No. 16 of 1948);
    (f) The Pharmacy Act, 1948 (Central Act No. 8 of 1948);
    (g) The Punjab Homoeopathic Practitioners Act, 1965 (Punjab Act No. 16 of 1965);
    (h) The Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners Act, 1963 (Punjab Act No. 42 of 1963);
    (i) The Punjab Anatomy Act, 1963; (Punjab Act 14 of 1963);
    (j) The Punjab Corneal Grafting Act, 1963 (Punjab Act 13 of 1963).
13. General supervision, direction , administration and control and all issues and matters requiring action at the level of Government in regard to:-
    (a) The Haryana Medical Council;
    (b) The Haryana Nurses Registration Council;
    (c) The Haryana State Dental Council;
    (d) The Haryana State Pharmacy Council;
    (e) The Council of Homeopathy System of Medicine, Haryana;
    (f) Board of Ayurvedic and Unani System of Medicine, Haryana; and
    (g) Haryana Medical Education Society.

14. Inter-State and intra State coordination in the Medical Education and Research sector.
15. Matters relating to Indian Council of Medical Research.
16. Matters regarding setting up/opening of medical education, medical research and medical training institutions in the State.
17. Matters regarding setting up/opening of health sciences and medical institutions to provide physical and intellectual milieu for young scientists working in multiple disciplines of medicine, to advance the frontiers of knowledge to render humane service to sick and suffering people and to train medical and paramedical manpower in the State.
18. Matters regarding research for the rural and community related environment and health problem with the focus of research on tackling diseases like diarrhoea , tuberculosis, malaria, amoebiasis systemic vacuities, Relapsing Polychondritis, HIV, Leprosy, hepatitis, anaemia, leukaemia, hypertension, atherosclerosis, thalassemia, dental caries, stone disease, cancer and sexually transmitted diseases etc.
19. Matter regarding setting up of facilities for research and conducting studies in health and medical sciences by using advanced techniques such as flow cytometry, chromatography (HPLC, FPLC), molecular biology, positron emission tomography (PET) and genetic studies etc.
20. Matters regarding setting up of research centers by international agencies (such as World Health Organisation) and national agencies, including matter regarding setting up of medical institutions of national importance such as All India Institute of Medical Sciences, National Cancer Institute *etc.*
21. Establishment matters relating to officers and staff under the administrative control of the Department except matters allotted to the General Administration Department.

Chandigarh:
The 27th May, 2016.

KAPTAN SINGH SOLANKI,
Governor of Haryana.

Chandigarh:
The 6th June, 2016.

D.S.DHESI,
Chief Secretary to Government, Haryana.

54397—C.S.—H.G.P., Chd.